न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/154
दायरा तिथि : 09.05.2024
आदेश तिथि : 08-08-2024

प्रार्थी :–
श्रीमती सविता देवी पत्नि फुलाराम निवारी वेलार तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 08-08-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 770/2 रकबा 0.6400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 761 रकबा 1.75 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में येलो फ्लोरोसेंट रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2024/1258 दिनांक 07.08.2024 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार

1. यह है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार में स्थित है जिसके खसरा नंबर 770/2 रकबा 0.6400 हैक्टर की खातेदारी भूमि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 761 में से रास्ता चाहा गया है, जो राजकीय सिवायचक दर्ज है।
2. यह है कि प्रार्थीनी के खेत में जाने हेतु कटान मार्ग के खसरा नंबर 692 में वैकल्पिक रूप से यही रास्ता उपलब्ध है। अन्य कोई विकल्प नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता स्त्रोत हैं।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
4. यह है कि प्रस्तावित रास्ता से ही प्रार्थीनी आवागमन करते है।
5. यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	761	1.75 हैक्टर	बारानी सोयम	96X9= 864 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

6. प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी.दर 1,84,134/– रूपये प्रति हैक्टर है।
7. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नहीं हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/154
अनवान सविता देवी बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 770/2 रकबा 0.6400 हैक्टर में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1258 दिनांक 07.08.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 770/2 रकबा 0.6400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 761 रकबा 1.75 हैक्टर मेंसे कुल 864 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 184134 /– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
761	1.75 हैक्टर	96X9= 864 वर्गमीटर	19	16416 X2=32832	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **32832/– (अक्षरे बत्तीस हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जावेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय बाली मे. जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली व भू.–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2024/1011-1015
दिनांक : 12-08-2024

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. भू.अ.निरीक्षक नाना
3. पटवारी हल्का कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती सविता देवी पत्नि फुलाराम निवासी वेलार तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner